[illegible]यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

[illegible]संख्या— 51/2022
[illegible]प्रस्तुति दिनांक—11.04.2022
[illegible] दिनांक—06.09.2024

सीता देवी पत्नि बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीया

बनाम

1. छोटू पुत्री श्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. शीता पुत्री माधो जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. हनुमान पुत्र माधो जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. रामप्रेम पुत्र नानू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. गीता पुत्री नानू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. प्रेम पुत्री नानू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. तीजा पत्नि नानू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. तहसीलदार पीपलू
9. उप पंजीयक पीपलू जिला टोंक
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीपलू जरिये शाखा प्रबंधक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीया—श्री ओमप्रकाश यादव
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 07—श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0
श्री हेमराज गुर्जर एड0

दावा बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92—ए राज0टि0एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया द्वारा एक वाद [illegible] उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 650 रकबा [illegible] हैक्ट. (00—09 बीघा) वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में प्रवितादीगण के नाम दर्ज हो रखी है। उक्त भूमि को वादीया ने 28,750 रूपये प्रतिफल [illegible] अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2010 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व प्रतिवादी संख्या

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

या 07 के पिता व पति नानू पुत्र श्रीनारायण व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की माता भूरी पत्नि माधो से खरीद कब्जा प्राप्त किया था। तब से वादीया अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही वादीया द्वारा खरीद की गई उक्त भूमि खरीद के समय प्रतिवादीगण का हिस्सा रहन होने के कारण खरीद भूमि का नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में अमल नही हो सका तथा प्रतिवादीगण ने वादीया को विश्वास या की हम हमारे हिस्से को रहन मुक्त करवा लेगे ओर आपके हक में किये गये विक्रय पत्र का नामान्तकरण अमल करवा देगे। इस कारण वादीया प्रतिवादीगण के विश्वास में रह गई। प्रतिवादीगण ने वादीया को धोखे मे कर उक्त भूमि को चुपचाप रहनमुक्त करवाकर अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर बैंक के रहन रख दिया। जिसके ब वादीया की क्रयशुदा भूमि का अंकन वादीया के हक मे नही हो पा रहा है। वादीया ने प्रतिवादीगण से कई निवेदन किया की उक्त भूमि को रहन मुक्त करवा देवे। जिससे वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो । लेकिन प्रतिवादीगण वादीया को उसके हको से वंचित करने के उद्देश्य से उक्त भूमि को रहन मुक्त नही ा रहे है। उक्त भूमि वादीया की क्रय शुदा भूमि है। जिस पर वादीया काबिज होकर काश्त करती चली आ है। वादीया उक्त भूमि की सहखातेदार काश्तकार है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाकर खातेदार कार घोषित किया जावे। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण भूमि को रहन, दान, बेचान करने व वादीया के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत करने पर आमादा है। लीन खातेदार विक्रेता संख्या 01 नानू पुत्र श्रीनारायण की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या ा 07 ही है व विक्रेता संख्या 04 भूरी पत्नि माधो की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान् प्रतिवादी संख्या व 03 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 बाबत् ोषणा पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात ख0न0 650 रकबा 0.1138 वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित जावे ओर राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम अंकन करवाया जावे। साथ ही डिक्री बहक वादीया विरूद्ध ादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द फरमाया की स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात रहन, दान, बेचान नही करे तथा वादीया के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि के उपयोग उपभोग करने में उत्पन्न नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 07 की ओर अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा व इकबाली दावा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त ित आराजीयात वाके ग्राम हरिपुरा में स्थित होना स्वीकार है। वादपत्र के चरण संख्या 02, 03, 04, 05, 06 कार है। वादपत्र का चरण संख्या 07, 08 व 10 ता 15 कानूनी होने से उतर की आवश्यकता नही है। वादी को न की गई भूमि की जगह पर हम प्रतिवादीगण की अन्य भूमि पर अधिभार दर्ज करते हुए वादीया का वाद की कर दिया जावे। इसमें हमे कोई उज्र व आपत्ति नही है। अतः इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

[illegible] जिसके अनुसार
[illegible]

[illegible] अधिवक्ता वादीया ने
[illegible] ग्राम हरिपुरा, पटवार
[illegible] के नाम दर्ज हो रखी
[illegible] विक्रय पत्र दिनांक 01.06
[illegible] पुत्र श्रीनारायण व
[illegible] तब से वादीया अपनी
[illegible] उक्त भूमि खरीद के
[illegible] राजस्व रिकॉर्ड मे अमल नहीं
[illegible] रहन मुक्त करवा लेंगे और
[illegible] कारण वादीया प्रतिवादीगण के
[illegible] रहनमुक्त करवाकर अन्य
[illegible] भूमि का अंकन वादीया के
[illegible] उक्त भूमि को रहन मुक्त करवा
[illegible] वादीया को उसके हकों से
[illegible] भूमि वादीया की क्रय शुदा भूमि है।
[illegible] भूमि की खातेदार काश्तकार है।
[illegible] उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे
[illegible] बयान करने व वादीया के कब्जे
[illegible] संख्या 01 नानू पुत्र श्रीनारायण
[illegible] संख्या 04 भूरी पत्नि माधो की
[illegible] बनाया गया है। अतः डिक्री
[illegible] फरमायी जाकर वादपत्र के सारण
[illegible] पटवार हलका हरिपुरा तह0
[illegible] रिकॉर्ड मे वादीया का नाम
[illegible] निषेधाज्ञा पारित फरमायी
[illegible] जाकर रिश्तेदार या
[illegible] नहीं करे तथा वादीया के
[illegible] नहीं करें।
[illegible]

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे बताया की वाद वादीया स्वीकार करते हुए कथन किया की वादी को दी गई भूमि की जगह पर हम प्रतिवादीगण की अन्य भूमि पर अधिकार दर्ज करते हुए वादीया का वाद स्वीकार किया जावे। इसमें हमे कोई उज्ज व आपत्ति नही है। वादपत्र के चरण संख्या 01 में अंकित भूमि वाके हरिपुरा मे वादीया को विक्रय किये गये हिस्से अनुसार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे कोई उज्ज आपत्ति नही है। अतः वाद वादीया डिक्री किया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा विक्रय पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब दावा का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त विक्रय पत्र एक विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार आराजी ख0न0 650 रकबा 0.1138 हैक्ट. वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 के पिता व पति नानू पुत्र श्रीनारायण व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की माता पत्नि माधो से खरीद किया जाना स्पष्ट है। विकयपत्र उप पंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 01.06.2010 को पंजीबद्ध किया गया है। जिसे किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया हैं। अतः वादीया को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने मे कोई विधिक बाधा कारित होती है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि भूमि आराजी ख0न0 650 रकबा 0.1138 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का हरिपुरा में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 के पिता व पति नानू पुत्र श्रीनारायण व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की माता भूरी पत्नि माधो के स्थान पर वादीया सीता देवी पत्नि बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार उक्त आराजीयात से बैंक प्रभार हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि स्वयं या जरिये एजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार, पारिवारिक व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नहीं करे। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार रिकॉर्ड दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)